"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 497] रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2013—— कार्तिक 4, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/49/2013/वाक/पांच (63).—— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उपधारा (1) के खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वर्ष के लिये, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम के प्रावधान एवं नियमों के क्रियान्वयन से अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान करती है, यथा :-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	व्यापारियों का वर्ग (2)	वर्ष (3)	प्रावधान/नियम जिनसे छूट दी गई (4)	निर्बन्धन तथा शर्तें (5)
1.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 5 में वर्णित वस्तु में व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को छोड़कर, अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी, जिसकी सकल वार्षिक कुल विक्रय राशि रु. 10 करोड़ से कम है.	वित्तीय वर्ष 2012-13	धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ग), धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (तीन) तथा नियम 20 (2) (क) तथा धारा 41 की उपधारा (2)	यदि कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्धारित प्रारूप-18 के अनुसार देयकर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, भुगतान कर चुका है तथा कुल वार्षिक विक्रय राशि वर्ष 2012-13 में रु. 1 करोड़ से अधिक होने पर ऐसे पत्रक के साथ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 (AB) के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली आडिट रिपोर्ट में से केवल व्यापार खाता एवं लाभहानि खाता की प्रति दिनांक 30-11-2013 तक प्रस्तुत कर देता है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 5 में वर्णित वस्तु में व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को छोड़कर, अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी, जिसकी सकल वार्षिक कुल विक्रय राशि रु. 10 करोड़ या इससे अधिक है.	वित्तीय वर्ष 2012-13	धारा 21 की उप धारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (तीन) तथा नियम 20 (2) (क)	यदि कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्धारित प्रारूप-18 के अनुसार देयकर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, भुगतान कर चुका है तथा ऐसे पत्रक के साथ छ.ग. मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 53 के उप-नियम (1) में निर्धारित प्रारूप-50 में आडिट रिपोर्ट दिनांक 30-11-2013 तक प्रस्तुत कर देता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ-10/49/2013/वाक/पांच (63).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/49/2013/वाक/पांच (63), दिनांक 05-09-13 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 5th September 2013

NOTIFICATION

No. F-10/49/2013/CT/V (63).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts, the class of dealer as specified in column (2) of the Schedule below, for the year as specified in column (3), from provisions of the act and rules as specified in column (4), subject to the restrictions and conditions specified in column (5) of the said Schedule, namely :-

SCHEDULE

S. No.	Class of dealers	Year	Section/rule from which exemption granted	Restrictions and conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Registered dealers under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 whose annual turnover is less than Rs. 10 crore, except dealer who deals in goods specified in S. No. 5 of part- III of Schedule- II	Financial year 2012-13	Clause (c) of sub-section (1) of section 19, Clause (i), (ii) and (iii) of sub-section (2) of section 21 and rule 20 (2) (a) and sub-section (2) of section 41	When the dealer specified in column (2) has paid the tax payable with interest, if any, according to Form- 18 prescribed in clause (b) of sub-section (1) of section 19 and file such form up to 30-11-2013 along with copy

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				of Trading of A/c. and Profit & Loss A/c. in audit report required under section 44 (A B) of Income Tax Act, 1961 if his annual turnover exceeds Rs. 1 crore in the year 2012-13.
2.	Registered dealers under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 whose annual turnover is Rs.10 crore or more, except dealer who deals in goods specified in S. No. 5 of part- III of Schedule-II	Financial year 2012-13	Clause (i), (ii) and (iii) of sub-section (2) of section 21 and rule 20 (2) (a)	When the dealer specified in column (2) has paid the tax payable with interest, if any, according to Form- 18 prescribed in clause (b) of sub-section (1) of section 19 and file such form up to 30-11-2013 along with audit report in Form- 50 prescribed in sub-rule (1) of rule 53 of Chhattisgarh Value Added Tax Rules 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.